[illegible]	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म
[illegible]	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। विपक्षीगण वकील द्वारा जवाब प्रा0पत्र पूर्व में प्रस्तुत किया गया जिसमे प्रार्थीया ने पूर्व में इस न्यायालय में धारा 136 का प्रा.पत्र पेश किया जिसे दिनांक 25.04.2018 को खारिज कर दिया गया । प्रार्थीया द्वारा सम्भागीय आयुक्त में अपील स्वीकार की गई जिसकी द्वितीय अपील प्रार्थी श्री कैलाश पिता भंवरलाल निवासी कनेरा द्वारा प0ह0 कनेरा में वर्णित खाता संख्या 282 में काबिज होना बताया गया जो राजस्व बोर्ड अजमेर में विचाराधीन है। न्यायालय हाजा द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.01.2022 में वर्णित खाता संख्या 1126 की आराजी न. 4272/4244 रकबा 0.1100 है0 भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा नहीं होना बताया गया । बहस और जवाब प्रा.पत्र के आधार पर प्रार्थीया को किसी प्रकार की कोई क्षति होना प्रकट नहीं होता है। प्रार्थीया को किसी प्रकार की असुविधा भी नहीं हो रही है एसी स्थिति में प्रथम दृष्टयता प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष का प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.01.2022 एवं प्रकरण को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	